न्यायालय— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम— 02 छबड़ा जिला बारां राज.

पीठासीन अधिकारी — श्रीमती राजवीर कौर, आर.जे.एस. (अतिरिक्त प्रभार)
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या — **763/2021**
सीआईएस नंबर — **234/2017**
सीएनआर नंबर — **RJBR07000-326-2017**

निर्णय की तारीख 20.07.2026
(प्र0सू.रि./अपराध और पुलिस थाने का विवरण— पुलिस थाना छबड़ा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 585/2015 अपराध अंतर्गत धारा 323 भा0दं0सं0)

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री रवि किशोर जोनवाल
अभियुक्तगण	1— राधेश्याम पुत्र किशनलाल, उम्र 50 साल, निवासी श्रीराम कॉलोनी छबड़ा, पुलिस थाना छबड़ा, जिला बारां। 2— कमल पुत्र कन्हैयालाल, उम्र 40 साल, निवासी श्रीराम कॉलोनी छबड़ा, पुलिस थाना छबड़ा, जिला बारां। 3— जमनालाल पुत्र कन्हैयालाल, उम्र 50 साल निवासी श्रीराम कॉलोनी छबड़ा, पुलिस थाना छबड़ा, जिला बारां। 4— भागवत पुत्र चिंताराम, उम्र 50 वर्ष, निवासी श्रीराम कॉलोनी छबड़ा, पुलिस थाना छबड़ा, जिला बारां। 5— भूरी बाई पत्नी राधेश्याम, उम्र 40 वर्ष, निवासी श्रीराम कॉलोनी छबड़ा, पुलिस थाना छबड़ा, जिला बारां।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री दौलतराम मीणा, विद्वान अधिवक्ता

अपराध की तारीख	13.11.2015
प्रथम सूचना कायमी की तारीख	02.12.2015
एफ.आर./आरोप पत्र पेश करने की तारीख	02.01.2016
आरोप विरचना की तारीख	05.06.2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	16.09.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	20.07.2026
निर्णय तारीख	20.07.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	प्रोबेशन, 20.07.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	आरोपित दण्डादेश	धारा 428 द0प्र0सं0 के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
1.	राधेश्याम	निल	निल	323 IPC	दोषसिद्ध	प्रोबेशन	निल
2.	जमनालाल	निल	निल	323 IPC	दोषसिद्ध	प्रोबेशन	निल

3.	कमल	निल	निल	323 IPC	दोषसिद्ध	प्रोबेशन	निल
4.	भूरी बाई	निल	निल	323 IPC	दोषसिद्ध	प्रोबेशन	निल
5.	भागवत	निल	निल	323 IPC	दोषसिद्ध	प्रोबेशन	निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

(क)अभियोजन–

साक्षी क्रम (Rank)	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
PW-1	निर्मला	अन्य गवाह
PW-2	लक्ष्मण सिंह	अन्य गवाह
PW-3	पवन	परिवादी
PW-4	सीताबाई	परिवादिया

(ख)प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो–

साक्षी क्रम (Rank)	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

(ग) न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो–

साक्षी क्रम (Rank)	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयनी प्रदर्शों की सूची

(क)अभियोजन–

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
1	P1	धारा 202 सीआरपीसी के बयान गवाह निर्मला
2	P2	नक्शा मौका
3	P3	चोट प्रतिवेदन आहत पवन
4	P4	चाक एफआईआर

(ख)प्रतिरक्षा प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
निल	निल	निल

(ग)न्यायालय प्रदर्श–

क.सं.	प्रदर्श	विवरण
निल	निल	निल

(घ)वस्तु प्रदर्श–

क.सं.	प्रदर्श	विवरण
निल	निल	निल

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 20.07.2026</u>

01– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि परिवादिया सीताबाई ने उपस्थित न्यायालय एसीजेम छबड़ा होकर एक लिखित परिवाद इस आशय का पेश किया कि दिनांक 13.11.2015 को भाई दोज के दिन रात्री के करीब 11 बजे वे खाना खा कर अपने घर पर बैठे थे। मुलजिमान 1 ता 5 औरतें लठ गंडासी से मुसलला होकर फरियादिया और मेहमानों को जान से मारने की नियत से बलपूर्वक मां बहन की गालियां देते हुए दरवाजा धक्के देकर और अंदर घुस गये जिससे दरवाजा भी टूट गया अन्दर घुसते ही फरियादिया व आये महमानो के साथ लठ गंडासीयों से मारना शुरू कर दिया। मुलजिम राधेश्याम ने मेहमान पवन के सिर में गडांसी की मारी जिसे बचाने के लिए फरियादीया उस पर आडी पड़ गई तो फरियादिया को हटाने की गरज से लातों व लठों से मारना शुरू कर दिया जिससे उसके सर, सीने में गले व गर्दन में चोटे आई। पवन का सिर गड़ासी की चोट में फट गया तथा अन्य मेहमान भी बचाने दौडे तो श्रीलाल के पीट व पेट पर लट्ठों तथा साधे मोढे पर मारा जिससे श्रीलाल नीचे गिर गया तो मुलजिमान लट्ठों से मारपीट करना शुरू कर दिया बद्रीबाई व सोनू बचाने दोडे तो उनके साथ भी सभी मुल्जिमान मारपीट लट्ठों से करने लगे उनके चिल्लाने से पडौस के गवाहों ने वाका देखा हैं परन्तु मुल्जिम के डर से बचाने नही आये फरियादिया जब अचेत अवस्था मे आ गयी तो मुल्जिमान 1 ता 5 दीगर औरतों ने पवन को मरा समझकर छोड़ कर भाग गये दूसरी सुबह पुलिस थाना छबड़ा में फरियादिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो पवन का पुलिस ने मेडिकल कराया उसके सिर मे टाके लगाये। फरियादिया पवन को बचाने के लिए जब उस पर पड़ी तो सभी मुल्जिमान फरियादिया से लूम गये तथा परियादिया ने मंगलसूत्र सोने का पहन रखा था वह भी सुबह देखा तो गले में नहीं मिला लूमा–झटकी में मुल्जिमान के हाथ पड़ गया जिसे लेकर मुल्जिमान चले गये जो अभी भी किसी मुलजिम के पास है।....................इत्यादि।

02– उक्त इस्तगासा बाद अनुसंधान नतीजा पेश करने के निर्देश के साथ पुलिस थाना **छबड़ा** भेजा गया जिस पर पुलिस थाना **छबड़ा** द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **585 / 2015** अपराध अंतर्गत धारा **143, 452, 323, 379 भा0दं0सं0** में

दर्ज की गयी। बाद अनुसंधान अदम वकू झूठ में एफ.आर. प्रस्तुत की गयी। एफ. आर. का परिवदिया द्वारा विरोध कर प्रोटेस्ट पिटिशन पेश की गयी। प्रोटेस्ट पिटिशन के समर्थन में साक्ष्य में परिवादिया सीताबाई ने स्वयं को सी.ड. 1,निर्मला को सी.ड.2, पवन को सी.ड. 3 तथा लक्ष्मण सिंह को सी.ड. 4 के रूप में बयान लेखबद्ध करवाये गये। तत्पश्चात् परिवादिया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलबध साक्ष्य—सामग्री के आधार पर तथा बहस प्रसंज्ञान सुनने के पश्चात् अभियुक्तगण **राधेश्याम, कमल, जमनालाल, भागवत तथा भूरी बाई** के विरूद्ध **धारा 323 भारतीय दंड संहिता** में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी प्रकरण के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया।

03— अभियुक्तगण को धारा **323 भारतीय दंड संहिता** का आरोप—सारांश मौखिक रूप से विरचित कर सुनाया व समझाये गये, जिसे सुन समझकर अभियुक्तगण ने अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04— साक्ष्य अभियोजन मे अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी0ड0 1 लगायत पी.ड.4 के बयान लेखबद्ध कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 लगायत पी 4 को प्रदर्शित कराया गया।

05— बाद साक्ष्य अभियोजन अभियुक्तगण को धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत परीक्षित कराया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध आयी अभियोजन साक्ष्य को गलत होना जाहिर किया और साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया जिस पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

06— बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया गया। बहस के दौरान विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर कठोर दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

07— जबकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि प्रकरण में अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे आरोपों के संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहों के कथनों में विरोधाभास हैं। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित नहीं कर पाया है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाने का निवेदन किया गया।

08— उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में विनिश्चय हेतु निम्न अवधार्य बिंदु पर इस

न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है कि —

01. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 13.11.2015 को रात्रि के करीब 11.00 बजे मौजा श्रीराम कॉलोनी छबड़ा में आहत के साथ पवन कुंद हथियार से मारपीट कर साधारण प्रकृति की उपहतियां कारित की ?

02. यदि हां, तो अभियुक्तगण को किस दंड से दंडित किया जाना उचित होगा ?

09— अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो अभियोजन द्वारा कुल 4 साक्षीगण को परिक्षित कराया है जिसमें से गवाह पी.ड. 2 लक्ष्मण सिंह अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन करता है कि करीब 4—5 साल पहले की दीपावली की दोज श्रीराम नगर छबड़ा की रात के करीब 9—10 बजे की बात है। उसने शोर—शराबा सुनकर घर से बाहर निकल कर देखा पवन के सिर से खून निकल रहा था। पवन का झगड़ा राधेश्याम, भूरी बाई, भागवत व कमल से झगड़ा हो रहा था। मारपीट में सीता बाई के चोट आयी थी।

10— प्रतिपरीक्षण में गवाह कथन करता है कि यह सही है कि मारपीट उसके घर से निकलने से पूर्व हो चुकी थी। उसके सामने नहीं हुयी।

11— गवाह पी.ड. 3 पवन अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि सन् 2015 की श्रीराम नगर छबड़ा की रात के करीब 9—10 बजे की बात है। जहां झगड़ा हुआ, उसके पास गवाह की मौसी का घर था। वह अपने घर से मौसी के घर पर आया हुआ था। कमल, राधेश्याम, भागीरथ, जमनालाल, एक महिला व उनके दो अन्य रिस्तेदार थे जिनके नाम वो नहीं जानता ने पीछे से आकर उसके साथ मारपीट की। गाली—गलौच की। गवाह के साथ—साथ उन्होंने उसकी मौसी का लड़का सोनू, मौसी सीताबाई, मामा लक्ष्मण के साथ भी मारपीट की। गवाह के सिर में चोट आयी थी। नक्शा—मौका प्रदर्श पी—2 घटना—स्थल पर गवाह के सामने बनाया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—3 है।

12— गवाह पी.डब्ल्यू. 4 सीताबाई जो कि प्रकरण की परिवादिया है, अपनी मुख्य परीक्षण में कथन करती है कि काफी पुरानी बात है। श्रीराम कॉलोनी छबडा की रात के करीब 8 बजे की बात है। राधेश्याम, भागवत, कमल व कुछ अन्य लोग उसके घर पर लड़ने के लिए आए। इन्होंने गवाह के साथ लड़ाई की। राधेश्याम, भागवत वगै. ने सोनू के साथ मारपीट की। राधेश्याम ने गवाह के साथ मारपीट की व उसकी गर्दन पकड़कर उसे घुमा दिया। उन्होंन गवाह के पति के साथ भी मारपीट की। उन्होंने पवन का सिर फाड़ दिया। उसकी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी

तो थाने में इस्तगासा किया था। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–4 है। नक्शा–मौका प्रदर्श पी–2 घटना–स्थल पर उसके सामने बनाया जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है।

13— प्रति परीक्षण में गवाह कथन करती है कि झगडे में भूरी का हाथ टूट गया था। यह सही है कि राधेश्याम, कमल व भूरी के सिर भी फट गये थे। यह सही है कि ताश खेलने वालों ने मारपीट की थी।

14— परिवादिया का कथन रहा कि उसके द्वारा एक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 4 इस आशय की दर्ज करायी थी कि दिनांक 13.11.2015 को जब फरियादिया अपने घर पर बैठी हुयी थी तो मुलजिमान द्वारा गंडासी लठ लेकर फरियादिया और उसके रिश्तेदारों को मारने की नियत से बलपूर्वक दरवाजा को तोड़ते हुए अंदर आए और फरियादिया व उसके परिवाजन के साथ लाठी डंडों से मारपीट की जिससे उनके चोटें कारित हुयी। हालांकि परिवादिया द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध नहीं बनना पाया जाकर न्यायायल में अंतिम प्रतिवेदन पेश किया गया था तथा उक्त अंतिम प्रतिवेदन पर परिवादिया द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पेश किये जाने के उपरांत स्वयं तथा गवाहन के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा उक्त गवाहान के बयानों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायायल द्वारा धारा 323 में प्रसंज्ञान लिया गया था। परिवादिया के बयान जो कि धारा 200 सीआरपीसी के अंतर्गत लेखबद्ध किये गये, के संबंध में परिवादिया केसशपथ बयानों का अवलोकन करें तो परिवादिया न बताया कि श्रीराम कॉलोनी छबड़ा में रात के करीब 8 बजे की बात है। राधेश्याम भागतव, कमल व कुछ अन्य लोग परिवादिया से लडने आये परिवादिया के साथ लडाई की राधेश्याम भागतव ने सोनू के साथ मारपीट करी उसे पकड़कर उसकी गर्दन को घुमाया उसके पति के साथ मारपीट की, पवन के साथ मारपीट किया जाना जिसकी रिपोर्ट कराया जाना चाक एफआईआर प्रदर्श पी. 4 होना नक्शा मौका का प्रदर्श पी 2 पर स्वंय की अंगूठा निशानी होने संबंधी कथन किये हैं। परिवादिया के उक्त कथनों की ताईद करते हुए गवाह पी.ड. 2 ने भी उक्त घटना रात के करीब 9–10 बजे श्रीराम कॉलोनी छबड़ा में होना जहां कमल भागीरथ, राधेश्याम व एक व्यक्ति द्वारा उसकी मौसी के घर पर आकर मारपीट किये जाने व स्वयं के सिर पर चोटें आने व नक्शा मोका प्रदर्श पी 2 बनाये जाने जिस पर ए स बी स्वयं के हस्ताक्षर होने और अपने शरीर पर आयी चोटें का मेडिकल करवाया जाना जो प्रदर्श पी 3 होने सबंधी कथन कि हैं। इस प्रकार उक्त गवाहान ने अपने बयानों में अभियोजन कहानी की पूर्णतः ताईद की है। हालांकि दोनों गवाहान द्वारा

दी गयी साक्ष्य में जिरह में विरोधाभास दिखाई पड़ता है परंतु चूंकि घटना 2015 की होकर करीब लगभग 10 साल पुरानी है और अधिक समय हो जाने से गवाहान द्वारा साक्ष्य में मामूली विरोधाभास आना स्वभाविक है परंतु उक्त विरोधाभास इस प्रकृति का नहीं है कि गवहान द्वारा दी गयी संपूर्ण साक्ष्य का ही खंडन होता हो। मामूली विरोधाभास आना स्वाभाविक एवं प्राकृतिक है, इससे घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। उक्त दोनों ही गवाहान ने मुलजिम कमल, राधेश्याम, भागीरथ जमनालाल द्वारा मारपीट किये जाने संबंधी स्पष्ट कथन किये हैं और मारपीट के दौरान पवन के शरीर पर चोटें आने संबंधी कथन किए हैं और उक्त दोनों गवाहान की साक्ष्य की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध चोट प्रतिवदेन से होती है। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 का अवलोकन करें तो उक्त चोट प्रतिवेदन दिनांक 13.01.2015 का होने जो कि पीड़ित पवन का होकर उसके शरीर पर सामान्य प्रकृति की चोटें कारित होना दर्शाता है। उक्त चोट प्रतिवेदन से भी परिवादिया एवं उक्त गवाह द्वारा दी गयी साक्ष्य की ताईद होती है हालांकि अभियोजन पक्ष की ओर से चिकित्सकीय साक्षी को न्यायायल में परीक्षित नहीं करवाया गया है परंतु चिकित्सकीय साक्ष्य का परीक्षित नहीं करवाये जाने मात्र से अभियोजन कहानी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और न ही इससे इस तथ्य को नकारा जा सकता है कि मारपीट के कारण पीडित पवन के किसी प्रकार की कोई चोटें कारित न हुयी हों। इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड. 2 लक्ष्मण सिंह ने भी पीड़ित एवं परिवादिया के कथनों की ताईद करते हुए उक्त घटना करीब 4–5 साल पहले श्रीराम नगर छबड़ा में करीब 9–10 बजे की होना व शोर शराबा होने व घर से बाहर निकलने पर पवन के सिर के खून निकलता देखे जाने और पवन का झगडा राधेश्याम भूरीबाई से होना मारपीट में सीताबाई के भी चोटें आने की साक्ष्य दी है। इस प्रकार उक्त गवाह घटना का चश्मदीद साक्षी है जिसने घटना की पूर्णतः ताईद की है। उक्त गवहान द्वारा दी गयी साक्ष्य से अभियोजन कहानी की पूर्णतः ताईद होती है। हालांकि गवाह पी.ड. 1 पक्षद्रोही घोषित रहा परंतु उक्त गवाह ने अपने सशपथ बयानों में घटना की इस हद तक ताईद की है कि करीब 10 साल पहले श्रीराम कॉलोनी छबड़ा में रात के 9–10 बजे जब वह सो रह थी तो शोर शराब सुनकर जब वह अपने घर की खिड़की से बाहर देखा तो बाहर मारपीट हो रही होना बताया उक्त गवाह के कथनों से इस तथ्य की पुष्टि भली भांति होती है कि घटना की रोज दोनेां पक्षों के मध्य लडाई झगडा एवं मारपीट हुयी थी। इस प्रकर पत्रावली पर आयी मोखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य भली भांति प्रमाणित होता है कि मुलजिमान परिवादिया सीताबाई व पीडित पवन के साथ लात–घूसों से मारपीट की गयी व

मारपीट में पवन के शरीर पर चोटों कारित हुयी। अतः अभियोजन पक्ष अपना मामला पूर्ण रूप से साबित करने में सफल रहे हैं।

15— अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध यह साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि **'' अभियुक्तगण ने दिनांक 13.11.2015 को रात्रि के करीब 11.00 बजे मौजा श्रीराम कॉलोनी छबड़ा में आहत के साथ पवन कुंद हथियार से मारपीट कर साधारण प्रकृति की उपहतियां कारित कीं''**। अतः उपरोक्त विवेचानुसार अभियुक्तगण **राधेश्याम, कमल, जमनालाल, भागवत तथा भूरी बाई** के विरूद्ध धारा **323 भा.दं.सं.** के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घ ोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>::—आदेश::—</u>

16— अतः अभियुक्तगण **1— राधेश्याम पुत्र किशनलाल, उम्र 50 साल,निवासी श्रीराम कॉलोनी छबड़ा, पुलिस थाना छबड़ा, जिला बारां, 2— कमल पुत्र कन्हैयालाल, उम्र 40 साल, निवासी श्रीराम कॉलोनी छबड़ा, पुलिस थाना छबड़ा, जिला बारां, 3— जमनालाल पुत्र कन्हैयालाल, उम्र 50 साल निवासी श्रीराम कॉलोनी छबड़ा, पुलिस थाना छबड़ा, जिला बारां, 4— भागवत पुत्र चिंताराम, उम्र 50 वर्ष, निवासी श्रीराम कॉलोनी छबड़ा, पुलिस थाना छबड़ा, जिला बारां तथा 5— भूरी बाई पत्नी राधेश्याम, उम्र 40 वर्ष, निवासी श्रीराम कॉलोनी छबड़ा, पुलिस थाना छबड़ा, जिला बारां** को उनके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा धारा **323 भारतीय दंड संहिता** में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

17— अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि अभियुक्तगण अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 10—10 हजार रूपये के जमानत मुचलके न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक कराएंगे जो कि बाद कराने तस्दीक आगामी 06 माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(राजवीर कौर)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
क्रम— 02 छबडा जिला बारां राज.
(अतिरिक्त प्रभार)

<u>दंड के बिन्दु पर सुनवाई—</u>

18— दंड के बिन्दु पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण का निवेदन है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, पूर्व दोषसिद्धि का उनके विरूद्ध कोई रिकार्ड

पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, प्रकरण पुराना है। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध मामूली प्रकृति का है। अभियुक्तगण अपने–अपने परिवारों में एक मात्र खाने कमाने वाले सदस्य हैं, उनके जेल में रहने से उनके बच्चों के भुखे मरने की नौबत आ जाएगी। अतः उन्हें परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया। जबकि इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी का यह तर्क रहा है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः अभियुक्तगण को कठोर दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

19– सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड पत्रावली पर संलग्न नहीं है। अभियुक्तगण वर्ष 2017 से अन्वीक्षा भुगत रहे है। ऐसी दशा में प्रकरण के समस्त तथ्य व परिस्थितियों तथा साबित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

– : : आदेश : : –

20– अतः अभियुक्तगण **1– राधेश्याम पुत्र किशनलाल, उम्र 50 साल,निवासी श्रीराम कॉलोनी छबड़ा, पुलिस थाना छबड़ा, जिला बारां, 2– कमल पुत्र कन्हैयालाल, उम्र 40 साल, निवासी श्रीराम कॉलोनी छबड़ा, पुलिस थाना छबड़ा, जिला बारां, 3– जमनालाल पुत्र कन्हैयालाल, उम्र 50 साल निवासी श्रीराम कॉलोनी छबड़ा, पुलिस थाना छबड़ा, जिला बारां, 4– भागवत पुत्र चिंताराम, उम्र 50 वर्ष, निवासी श्रीराम कॉलोनी छबड़ा, पुलिस थाना छबड़ा, जिला बारां तथा 5– भूरी बाई पत्नी राधेश्याम, उम्र 40 वर्ष, निवासी श्रीराम कॉलोनी छबड़ा, पुलिस थाना छबड़ा, जिला बारां** को अपराध अंतर्गत धारा–– **323 भारतीय दंड संहिता** में दोषसिद्धि के लिए कारावास / जुर्माना सजा से दण्डित करने के बजाय अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के तहत सम्यक् रूप से प्रताड़ित करके भविष्य में अपराध न करने की चेतावनी देकर उन्मुक्त किया जाता है।

21– साथ ही, धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक अभियुक्त पर 200 / – (अक्षरे दो सौ रूपये) संयुक्त रूप से कुल 1000 / – रूपये अभियोजन व्यय के रूप में अधिरोपित किये जाते है।

22– यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्तगण **राधेश्याम, कमल, जमनालाल, भागवत तथा भूरी बाई** को चूंकि मामले में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा–5 का लाभ देकर परिवीक्षा पर छोड़ा गया है। ऐसे में अभियुक्तगण **राधेश्याम, कमल, जमनालाल, भागवत तथा भूरी बाई** परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा–12 के प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। **अभियुक्तगण को धारा**

12 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाता है। अतः उक्त दोषसिद्धि से संबद्ध कोई निरर्हता, यदि कोई हो, नहीं होगी।

(राजवीर कौर)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
क्रम– 02 छबडा जिला बारां राज.
(अतिरिक्त प्रभार)

23– आदेश आज दिनांक **20.07.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर कौर)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
क्रम– 02 छबडा जिला बारां राज.
(अतिरिक्त प्रभार)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.29 18:12:04 IST